

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जनवरी 2010—पौष 17, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी, 2010

क्र. 120-5-21-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 जनवरी, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, २००९

[दिनांक १ जनवरी, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक 7 जनवरी, 2010 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट, १९३१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, २००९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१) में, अध्याय ६-क के शीर्षक "आ-सुधार अंशदान" धारा ६-क का लोप का जिसमें धारा-५८-क से ५८-ट अन्तर्विष्ट हैं लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. 121-5-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 of 2010.

THE MADHYA PRADESH IRRIGATION (AMENDMENT) ACT, 2009.

[Received the assent of the Governor on the 1st January, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th January, 2010.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Irrigation (Amendment) Act, 2009.

Deletion of
Chapter VI-A.

2. In the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), Chapter VI-A heading "Betterment Contribution" containing Sections 58-A to 58-K shall be deleted.